न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 59/2024 बउनवानी अमरजीत सिंह **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार निवासी दौलतपुरा तहसीलदार खण्डार

GCMS No-2024/152

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
19.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.09.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *पटवार हल्का दौलतपुरा के ग्राम दौलतपुरा के तालाब ख0न0 172 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, गै0मु0 स्कूल फिल्ड ख0न0 172/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, मरघट ख0न0 635/108 रकबा 7 बिस्वा पर सम्वत् 2080 के अतिक्रमियों पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना*" तहसीलदार खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः ना.तह./राजस्व/2024/318 दिनांक 2.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9.2024 में चाही गयी सूचना (3 पृष्ठो की) तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/राजस्व/1213 दिनांक 29.10.2024 से अपीलान्ट को ग्राम दौलतपुरा के तालाब ख0न0 172 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा मे से 0.05 बीघा पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश हुई है जिसकी सूचना कुल 3 पृष्ठो की भिजवायी जा चुकी है तथा मरघट ख0न0 635/108 पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त नही होने तथा स्कूल फील्ड ख0न0 172/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा पर अतिक्रमण के संबंध मे संबंधित संस्था प्रधान द्वारा कार्यवाही की जानी है स्कूल फील्ड के अतिक्रमण के संबंध में तहसील कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाने बाबत अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.9.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना कुल 3 पृष्ठो की तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 1213 दिनांक 29.10.2024 से अपीलान्ट भिजवायी जा चुकी है/वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:03:08 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner